

कार्यालय नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

क्रमांक- न.प.चि./प्र.शा.अभि-2021/भूमि नियमन/2022-23/ 4801-06

दिनांक- 25/7/22

उजरदारी-सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात (उक्त प्रकरण में पूर्व में 90-ए हो चुकी है)

क्र. सं.	नाम आवेदक	राजस्व ग्राम	आराजी नं.	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
1	श्री विनोद कुमार पिता श्री प्यार चन्द्र मेनारिया निवासी चित्तौड़गढ़	चन्देरिया	72/226	266.66 वर्गगज	आवासीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रायोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर - भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुक्त नियत समय के भीतर - भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। उक्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों को इन्टरनेट पर निम्न वेबसाइट [CHITTORGARHMC.COM](http://chittorgarhmc.com), DLBRAJASTHAN@GMAIL.COM <http://lsg.urban.rajasthan.gov.in> तथा <http://shahar2021.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर के अधीन आज दिनांक..... को जारी की गई है।

2
आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़

क्रमांक- न.प.चि./प्र.शा.अभि-2021/भूमि नियमन/2022-23/

दिनांक-

प्रतिलिपि:-

1. विज्ञापन शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त उजरदारी दो राज्य स्तरीय सामाचार पत्र में प्रकाशन करावें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा।
3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा।
4. वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. मौके पर चस्पा।

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़